

भारत सरकार  
आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1671

11 फरवरी, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

**आयुष दवाओं का उत्पादन और वितरण**

1671. डॉ. एम.पी.अब्दुस्समद समदानी:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को महामारी से संबंधित समस्याओं की रोकथाम करने और उससे निपटने के एक उपाय के रूप में एलोपैथिक दवाओं के साथदवाओं के (आयुष) आयुर्वेदिक और यूनानी ,साथ होम्योपैथिक-उपयोग की संभावना के बारे में जानकारी है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) सरकार द्वारा उन दवाओं के गुणात्मक उत्पादन और वितरण के साथ-साथ इन चिकित्सा प्रणालियों में अनुसंधान के दायरे को व्यापक और गहन बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**आयुष मंत्री (श्री सर्बानंद सोणोवाल)**

(क) और (ख): आयुष मंत्रालय ने एक अंतर-विषयक आयुष अनुसंधान एवं विकास कार्यदल का गठन किया है, जिसमें भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान (एआईआईएमएस) और आयुष संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हैं। अंतर-विषयक आयुष अनुसंधान एवं विकास कार्यदल ने अश्वगंधा, यष्टीमधु, गुडुची + पिपली और एक पॉली हर्बल फॉर्मूलेशन (आयुष-64) जैसे चार विभिन्न उपचारों का अध्ययन करने के लिए देश भर के विभिन्न संगठनों के उच्च ख्याति प्राप्त विशेषज्ञों की समीक्षा और परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से कोविड-19 के पॉजिटिव मामलों में रोगनिरोधी अध्ययनों और सहायक उपचारों हेतु नैदानिक अनुसंधान प्रोटोकॉल तैयार और डिजाइन किए हैं।

आयुष मंत्रालय ने साक्ष्य सृजित करने के लिए रोग निरोधी उपायों, क्वारंटीन के दौरान उपचार, कोविड-19 के लक्षणरहित और लक्षणसहित मामलों, जन स्वास्थ्य अनुसंधान, सर्वेक्षण, प्रयोगशाला आधारित अनुसंधान आदि सहित आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से कोविड-19 पर अनुसंधान करने के लिए दिशानिर्देशों संबंधी राजपत्र अधिसूचना जारी की।

आयुष मंत्रालय ने कार्यदल की सिफारिशों के आधार पर कोविड-19 के लिए आयुष उपचारों को शामिल करके अंतर्विषयक अध्ययन भी आरंभ किए हैं। आयुष मंत्रालय के अधीन विभिन्न अनुसंधान संगठनों और राष्ट्रीय संस्थानों के अंतर्गत आयुष उपचारों पर देश में 140 अनुसंधान अध्ययन आयोजित किए जा रहे हैं।

आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के दौरान बच्चों के लिए घर पर परिचर्या संबंधी दिशानिर्देश और बच्चों में रोग निरोधी परिचर्या के संबंध में आयुष चिकित्साभ्यासियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय द्वारा प्रसिद्ध आयुर्वेद विशेषज्ञों द्वारा विधिवत जांच कराकर स्वयं देखभाल दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय कार्यदल द्वारा तैयार “कोविड-19 के प्रबंधन के लिए आयुर्वेद और योग पर आधारित राष्ट्रीय नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल” भी जारी किया है।

केंद्रीय अनुसंधान परिषदों और राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा अपने विशेषज्ञ दलों के साथ आयुष से संबंधित चिकित्सा पद्धतियों के पंजीकृत चिकित्साभ्यासियों के लिए दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं और आयुष मंत्रालय की अंतरविषयक आयुष अनुसंधान एवं विकास कार्यदल द्वारा इनकी पुनरीक्षा की गई है। ये दिशानिर्देश होम्योपैथी सहित पंजीकृत आयुष चिकित्साभ्यासियों के हितलाभ के लिए पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराए गए हैं ताकि कोविड-19 महामारी के एकसार प्रबंधन में मदद मिल सके।

आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष संजीवनी मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है और लगभग 1.35 करोड़ प्रत्यर्थियों में किए गए मोबाइल ऐप आधारित जनसंख्या अध्ययन के जरिए कोविड-19 की रोकथाम में आयुष ऐडवाइजरी और उपायों की प्रभावशीलता, स्वीकार्यता तथा उपयोग के असर का आकलन प्रलेखित किया है और 7.24 लाख सार्वजनिक आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि 85.1 प्रतिशत प्रत्यर्थियों ने कोविड-19 की रोकथाम हेतु आयुष उपायों के उपयोग के बारे में सूचित किया, जिनमें से 89.8 प्रतिशत प्रत्यर्थियों ने सहमति जताई कि उन्हें आयुर्वेद ऐडवाइजरी के अभ्यास से लाभ मिला है।

(ग): कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर आयुष मंत्रालय ने सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को निर्देश जारी किया है कि वे एएसयू औषध विनिर्माताओं को जेनेरिक नाम यथा 'आयुष क्वाथ' या आयुष कुडिनीर' या 'आयुष जोशांदा' के रूप में विनिर्माण और बिक्री के लिए लाइसेंस जारी करने की अनुमति दें। लाइसेंस औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के प्रावधानों के अनुसार दिया जाना है।

आयुष मंत्रालय द्वारा जारी किए गए राष्ट्रीय दिशानिर्देशों में उल्लिखित और उपयोगी अधिकांश औषधियां आयुर्वेदिक औषध निर्माताओं द्वारा निर्मित की जा रही हैं।

इस महामारी की दूसरी लहर के दौरान, देश के प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थानों के वैज्ञानिकों ने पाया है कि केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस), आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित एक पॉली हर्बल औषधयोग आयुष-64 मानक देखभाल के सहायक के रूप में लक्षणरहित, हल्के और मध्यम कोविड-19 संक्रमण के उपचार में उपयोगी है। आयुष चिकित्सा पद्धति का अधिक से अधिक लाभ दिलाने के लिए, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत अनुसंधान परिषदों और राष्ट्रीय संस्थान की 87 नैदानिक इकाइयों के माध्यम से देश भर में आयुष-64 और कबसुर कुडिनीर के वितरण के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया गया। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लाइसेंसिंग प्राधिकरणों/औषध नियंत्रकों को उनके अधिकार क्षेत्र के तहत आयुष-64 के लिए लाइसेंस प्राप्त विनिर्माताओं को लक्षणरहित, हल्के से मध्यम कोविड-19 के प्रबंधन के लिए एक उपचार के रूप में पुनः उद्देशित करने के लिए आयुष-64 के मौजूदा संकेत (ओं) के अतिरिक्त नए संकेत को शामिल करने की अनुमति देने के लिए सूचित किया गया था। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लाइसेंसिंग प्राधिकरणों से आयुष-64 के विनिर्माण के लिए लाइसेंस/आवेदन के अनुमोदन की प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध किया गया है। सीसीआरएएस ने राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एनआरडीसी) के माध्यम से आयुष-64 के विनिर्माण के लिए 40 विनिर्माण इकाइयों को आयुष-64 विनिर्माण प्रौद्योगिकी हस्तांतरित की है।

कोविड-19/ओमीक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में आयुष की भूमिका के महत्व तथा कोविड रोगियों के हल्के से मध्यम लक्षणों के प्रबंधन में इसकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय लोगों के स्वास्थ्य संवर्धन के लिए आयुरक्षा किट, बाल रक्षा किट और आयुर केयर किट के उपयोग को बढ़ावा दे रहा है। इस संबंध में, सभी राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को सूचित किया है कि जो आयुरक्षा किट, बाल रक्षा किट और आयुर केयर किट के विनिर्दिष्ट घटकों के अनुसार किट बनाने हेतु किट के अलग-अलग घटक के वैध लाइसेंसप्राप्त विनिर्माताओं के लिए पृथक से लाइसेंस लेना जरूरी नहीं है।

\*\*\*\*\*